न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/टी.ए./4962/2005/भरतपुर

1– मूली पुत्र परसादी जाति लोधा निवासी पांडूरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1– मुरारीलाल पुत्र भवानी जाति लोधा निवासी पांडूरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर

–प्रत्यार्थी

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री यज्ञदत शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता, रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 13–03–2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–234/2001 बउनवानी मूली बनाम मुरलीलाल में पारित निर्णय दिनांक 16–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलार्थी ने सहायक कलक्टर रूपवास के न्यायालय में ग्राम पांडुरी तहसील रूपवास स्थित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा की भूमि बाबत् एक राजस्व वाद प्रतिवादी रेस्पोडैन्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी संवत् 2012 से काबिज होकर काश्त कर रहा है परंतु उसके नाम इंद्राज 1/2 हिस्से का हो रहा है व 1/2 हिस्से का इंद्राज

प्रतिवादी के नाम हो रहा है जिसे कलमजन कर संपूर्ण रकबे का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उसे इस बात से पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजी के कब्जे वादी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए अपने विशेष कथन में अंकित किया है कि विवादग्रस्त आराजी को वादी व प्रतिवादी व इससे पूर्व इन दोनों के पिता सम्मलित रूप से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार काश्त करते रहे है। गत दो वर्षो में वादी की नियत में फर्क आने लगा और प्रतिवादी को संयुक्त काश्त करने में असुविधा होने लगी। जब प्रतिवादी ने रकबा अलग–अलग कर लेने को कहा तो वादी टालता रहा और चुपचाप दावा पेश कर दिया। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित चार तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2001 से वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16–09–2005 से अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–6–2001 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट दोनों को विवादित आराजी के 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर रूपवास के यहा दावा 88 व 188 का पेश किया था। विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 237 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा वादी के पिता के नाम थी और सैटलमेन्ट के बाद संवत् 2012 से लगातार वादी के पिता के नाम ही चली आ रही है। प्रतिवादी ने सैटलमेंन्ट से मिलकर अपना आधा हिस्सा करा लिया और आधा हिस्सा दर्ज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 का विवेचन करते हुए दावा डिक्री किया गया था। आदेश 41 नियम 31 का उल्लंघन है। रिवर्स कर दिया जो दस्तावेज प्रदर्शित है उन्हें पढा नही और जो दस्तावेज प्रदर्शित नही कराये गये उनके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिक्री कर दिया गया। आदेश 41 नियम 27 के तहत जो दस्तावेज पेश किए गए उनके खंण्डन में मौका भी नही दिया गया। विवादग्रस्त जमीन खुद काश्त के नाम से दर्ज है। जमाबंदी 2032 से 35 गिरदावरी 2016 से 22 और 39 से 42 प्रदर्श 1 जमाबंदी है। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने इनका विवेचन भी नहीं किया और अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त

किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दस्तावेज स्वीकार किए गए उनके खंडन में मौका भी नहीं दिया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. 2019 आरबीजे पेज 193
2. 2019 आरबीजे पेज 376
3. 2021 डीएनजे I (सर्वोच्च न्यायालय) पेज 299

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा केवल 1 तनकी के आधार पर ही निर्णय किया गया था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थनापत्र स्वीकार करके दरखास्त मंजूर हुई है और दोनों पक्षों को मौका दिया गया है और दस्तावेज में आधा–आधा हिस्सा जमीन का है। सारी बातें उसमे लिखी हुई है। सकारण आदेश पारित किया गया है, अपीलार्थी का कोई मामला नहीं बनता है समस्त दस्तावेजों मे आधा–आधा हिस्सा लिखा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता नहीं है अपील खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का विवेचन करते समय प्रदर्श 1, 2, 3 के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है और वादी का वाद डिक्री किया गया है लेकिन प्रदर्श 1 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि जमाबंदी कालम नंबर 4 में यह उल्लेख किया है कि मूली पुत्र प्रसादी व मुरारी लाल पुत्र भवानी बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। प्रदर्श 2 खसरा गिरदावरी चौसाला के कॉलम नंबर 6 में मूली पुत्र प्रसादी व भवानी बल्द लुट्टी बहिस्सा बराबर दर्ज है और जमाबंदी संवत् 2044 से 46 में भी मूली पुत्र प्रसादी व मुरारीलाल पुत्र भवानी बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। प्रदर्श 3 जमाबंदी खतौनी संवत् 2032 से 35 के कॉलम नंबर 5 में मूली वल्द प्रसादी व भवानी वल्द लुट्टी का हिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2011 से 14 में भी जमाबंदी कॉलम नंबर 5 में खुद काश्त प्रसादी बहिस्सा बराबर भवानी बल्द लुट्टी दर्ज है। हालांकि यह दस्तावेज वादी ने प्रदर्शित नहीं कराया है लेकिन अन्य प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर भी यह स्पष्ट है कि अकेले वादी का हिस्सा नहीं है बल्कि प्रत्येक दस्तावेज में भवानी का हिस्सा बराबर बराबर दर्ज है।

विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पेज संख्या– 7 व 8 पर यह उल्लेख किया है कि– ‘‘दोनों पक्षों की लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं राजस्व रिकार्ड व साक्ष्यों को भलीभांती देखा व पढा गया तो विवेचन इस प्रकार है कि आराजी विवाद के संबंध में खतौनी, जमाबन्दी संवत् 2007 के कालम नंबर 5 में खुद बीरबल कापरसादी बाहिस्सा बराबर दर्ज है। जमाबंदी संवत्

2009–12 के कॉलम नंबर 5 में मूली पुत्र परसादी व भवानी बंद लुट्टी बाहिस्सा बराबर गैर खातेदार साल दस बकाश्त मूली पुत्र परसादी गैर खातेदार दर्ज है। खतौनी संवत् 2011–14 के कॉलम नंबर 5 में खुद काश्त परसादी हिस्सेदार व साक्षी भवानी व लुट्टी गैर मोरोसी साल 3 दर्ज है तथा कॉलम नंबर 4 में रघुनाथ कौम मजकूर दर्ज है। गिरदावरी संवत् 2022–25 प्रदर्श 2 के कॉलम नंबर 6 में मूली पुत्र परसादी व भवानी पुत्र लुट्टी बाहिस्सा बराबर गैर खातेदार साल 10 बाकिश्त मूली, परसादी सिकमी दर्ज है।

खतौनी संवत् 2039–42 प्रदर्श 1, संवत् 2032–35 प्रदर्श 3 में मूली एवं भवानी दोनों बाहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आराजी विवाद पर मूली पुत्र परसादी व भवानी बल्द लुट्टी हिस्सा बराबर गैर खातेदार संवत् 2009.12, 2011.14 में दोनों इन्द्राज बतौर गैर खातेदार गैर मोरोसी के रूप में रिकार्ड में दर्ज है जो संवत् 2022–25 तक गैर खातेदार बाहिस्सा बराबर दर्ज है तथा बाद में खतौनी संवत् 2032–35 एवं संवत् 2039–42 तथा संवत् 2044–47 में दोनों खातेदार बाहिस्सा दर्ज है। जो नजीरे रेस्पो0 के विद्धान वकील द्वारा प्रस्तुत की गई है वे अपी0 के विद्धान वकील द्वारा प्रस्तुत रूलिंग्स में दिए गए न्यायिक दृष्टांतों से भिन्न है साथ ही इस प्रकरण पर अपी0 द्वारा प्रस्तुत रूलिंग के न्यायिक दृष्टांत से अधिक प्रभावी रूप में चस्पा होती है।''

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 व 2 का विवेचन साक्ष्यों को एकपक्षीय मानते हुए विवेचन किया है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों उक्त आराजी पर बतौर गैरखातेदार बाहिस्सा बराबर अंकित है जिन्हें बाद में खातेदारी दी गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय रिकार्ड के आधार पर तनकी नंबर 1 व 2 का सही विवेचन करके नहीं दिया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

8– विद्धान प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–6–2001 को निरस्त योग्य मानकर अपीलार्थी प्रतिवादी की अपील स्वीकार की थी, जिसके विरूद्ध यह मौजूदा अपील वादी अपीलार्थी द्वारा पेश की गयी है। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया है और जैसा ऊपर विवेचन किया गया है राजस्व रिकार्ड के अनुसार अकेले वादी या उसके पिता के नाम विवादित आराजी नहीं है बल्कि भवानी व उसके पिता का भी नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप का आधार प्रकट नहीं होता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की गयी है।

9– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–234/2001 बउनवानी मूली बनाम मुरलीलाल में पारित निर्णय दिनांक 16–09–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य